


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग।

विज्ञप्ति दिनांक 19.08.2016

सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 05-नो0एफ0/XXXVI(1)/2016-01-नो0एफ0/02, न्याय अनुभाग-1, दिनांक अगस्त, 2015 से प्राप्त निर्देशानुसार जिला रुद्रप्रयाग में नोटरी के 01 रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अधिवक्तागणों से आवेदन आमंत्रित किये जाने हैं।

अतः प्राप्त निर्देशन के अनुपालन में जिला रुद्रप्रयाग हेतु 01 रिक्त नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अधिवक्तागणों से, जो नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 3 के अनुसार अर्हता रखते हैं, नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 4(2)(3) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण आवेदन अपर सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित (सक्षम प्राधिकारी), द्वारा जनपद न्यायाधीश के माध्यम से इस विज्ञप्ति के 15 दिन अन्दर अर्थात् दिनांक 02.09.2016 तक दो प्रतियों में आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त आवेदन पत्र प्रशासनिक कार्यालय में जमा किये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

तदनुसार सभी सम्बन्धित को सूचित किया जावे।


जनपद न्यायाधीश,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग।

ok/epu

पत्रांक: 540/चार-1-2016, दिनांक: अगस्त 19, 2016.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष जिला बार एसोसियेशन, रुद्रप्रयाग एवं ऊखीमठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह समस्त अधिवक्तागण को परिचारित करवाने का कष्ट करें।
2. न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

आदेशानुसार

19.8.2016

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
रुद्रप्रयाग जजशिप।

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,
रुद्रप्रयाग।

न्यायालय न्यायद न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग
दिनांक 02.12.2015
संख्या 17.08.2016
272
न्यायाधीश न्यायाधीश-01-2016
दि. 2.12.2016

न्याय अनुभाग:-1

देहरादून : दिनांक : अगस्त, 2016

विषय: जिला रुद्रप्रयाग में नोटरी के 02 रिक्त पदों पर नोटरी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-704/चार-03-2011 दिनांक 07.09.2015 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासन द्वारा तहसील मुख्यालय रुद्रप्रयाग में नोटरी के रिक्त 02 पदों हेतु दिनांक 02.12.2015 को हुए साक्षात्कार के आधार पर श्री मदन सिंह नेगी, अधिवक्ता को नोटरी नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नोटरी नियमावली, 1956 यथा संशोधित नोटरी (संशोधन) के नियम-9 के अनुसार श्री मदन सिंह नेगी से ₹ 2000/-निर्धारित शुल्क ट्रेजरी चालान द्वारा जमा कराने के साथ ₹ 500/-का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर शासन को भेजने का कष्ट करें, ताकि उनके पक्ष में आवश्यक नोटरी प्रमाण पत्र जारी किया जा सके।

2- श्री मदन सिंह नेगी का वृत्तिका पता भी सूचित करने का कष्ट करें। श्री नेगी यदि इस समय शपथ-आयुक्त, नामिका वकील या इस प्रकार के अन्य किराी शासकीय पद अथवा समकक्ष पद पर कार्यरत हो, तो उनसे उक्त पद से त्यागपत्र प्राप्त कर लिया जाय तथा इसकी सूचना भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- साथ ही मुझे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में नोटरी के दूसरे रिक्त पद हेतु पुनः नया पैनल मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 4 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार अधिवक्तागण से आवेदन प्राप्त कर पैनल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा जो आवेदन पूर्ण एवं उपर्युक्त नियमानुसार प्रतिहस्ताक्षरित नहीं होंगे उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
सचिव

संख्या : /नो.एफ./XXXVI(1)/2016-1 नो.एफ./2002 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- 2- सचिव, अधिवक्ता दार एसोसियेशन, जिला न्यायालय परिसर, रुद्रप्रयाग।
- 3- श्री मदन सिंह नेगी, अधिवक्ता, ग्राम व पो0 बस्ती, तहसील बसुकेदार, रुद्रप्रयाग।
- 4- एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गहेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव

Seem, Inform
the advocate concerned
to fulfill the cloning
requirement. and application be
also invited.
D/S